HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्या के अभियोग में एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 18.03.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा “हत्या” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 30.08.2014 को अभियुक्त विक्रान्त उर्फ कप्तान पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कुराना थाना सिम्भावली जनपद हापुड द्वारा अपने गांव निवासी गजपाल सिंह के साथ मारपीट कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 209/2014 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 25.10.2014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 18.03.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री विजय चौहान (ए.डी.जी.सी) व विवेचक निरीक्षक श्री संजीव कुमार एवं पैरोकार का0 42 अनुज दांगी व कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 श्री महिपाल का विशेष योगदान रहा।